न्यायालय : अपर सेशन न्यायाधीश, बस्सी, जयपुर महानगर–प्रथम

पीठासीन अधिकारी : : : संजय कुमार मीना (RJS)
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या – 148/2026
जमानत आवेदन संख्या – 171/2026
सी.आई.एस. नं. – 166/2026

1. रोहित कृष्णा पुत्र कृष्णा, उम्र 28 साल, निवासी अनधन पट्टी, गली नागप्पन मैन रोड, पुलिस थाना अनधन पट्टी, जिला सैलम तमिलनाडु हाल किरायेदार राफत का मकान नंबर 48 शिव इन्क्लेव, इस्माइलपुर बसंतपुरा रोड, थाना पल्ला जिला फरीदाबाद, हरियाणा।

2. इम्तियाज आलम उर्फ अमनराज पुत्र मोहम्मद वकील, उम्र 37 साल, निवासी कसाई तोला, तहसील सिवान थाना कचहरी सिवान जिला सिवान बिहार किरायेदार म.नं. 23 ऑमशांति एन्कलेव सूर्य विहार पार्ट–3 सैक्टर 91 फरीदाबाद हरियाणा हाल किरायेदार राफत का मकान नंबर 48 शिव इन्क्लेव, इस्माइलपुरा बसंतपुरा रोड, थाना पल्ला, जिला फरीदाबाद, हरियाणा।?

3. जावेद उर्फ परमजीत यादव पुत्र रहिशुद्दीन, उम्र 36 साल, निवासी म.नं. 2123 मजीदपुरा बुलन्दशहर रोड, पुलिस थाना देहात जिला हापुड (उत्तर प्रदेश) हाल किरायेदार शकील का मकान, हासिल कुट्टी वाली गली एवन कॉलोनी, हुमायू नगर पुलिस थाना लोहिया नगर जनपत मेरठ (उत्तर प्रदेश)

.....प्रार्थी/ अभियुक्तगण

बनाम

राजस्थान राज्य

.....अभियोजन

जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस
अपराध अन्तर्गत धारा 303(2), 324(2), 112(2) बी.एन.एस
पुलिस थाना जामडोली, जयपुर पूर्व

उपस्थिति :

1. विद्वान अधिवक्ता श्री रामगोपाल शर्मा, प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से।
2. विद्वान अपर लोक अभियोजक, मनीष शर्मा, राज्य की ओर से।

: आदेश :

दिनांक : 09.07.2026

1. प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से उपरोक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं अपराध में यह जमानत का आवेदन पत्र अधिवक्ता के माध्यम से इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का जमानत आवेदन पत्र धारा 480 बी.एन.एस.एस. के अधीन दिनांक 15.06.2026 को न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम–15 बस्सी, जयपुर महानगर प्रथम द्वारा अस्वीकार किया गया है। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण/अभियुक्तगण व विद्वान अपर लोक अभियोजक की बहस सुनी गई तथा केस डायरी का अवलोकन किया गया।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि यह प्रकरण परिवादी रामसिंह ने एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की, कि वह वेडिंग विला गार्डन प्रेमनगर पुलिया के पास उसके साथी नरेन्द्र कुमार टेलर, बाबूलाल टेलर व अमित कुमार शर्मा भी उसके वाहन आर.जे. 14 सीजे 3433उ से इस समारोह में शामिल होने आये थे। गार्डन के पार्किंग स्थल में गाडी पार्क करके समारोह मे शामिल हुए। वापस 5.20 पीएम को वाहन के पास आये तो ड्राईवर साईड की पीछे का शीशा तोडकर वाहन में रखा सामान चोरी कर लिया गया। गार्डन के सीसीटीवी फुटेज में चोरी की रिकॉर्डिंग दर्ज है.....इत्यादि। उक्त रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज किया जाकर अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 303(2), 324(2), 112(2) बीएनएस का अपराध अनुसंधान अधिकारी द्वारा प्रमाणित पाया गया।

3. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण का यह तर्क रहा है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को उक्त प्रकरण में गलत रूप से झूठा फंसाया गया है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के कब्जे से कोई बरादगी नहीं हुई है तथा उनसे कोई बरामदगी व अनुसंधान किया जाना भी शेष नहीं है। प्रकरण में चालान पेश हो चुका है। उक्त प्रकरण में मृत्युदण्ड व आजीवन कारावास की सजा का भी प्रावधान नहीं है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के गवाहों को डराने, धमकाने या बहलाने का कोई अंदेशा नहीं है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण आदेशानुसार जमानत मुचलके पेश करने को तैयार है. अतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को जमानत का लाभ प्रदान किया जावे।

4. विद्वान अपर लोक अभियोजक ने विरोध किया व जमानत का प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किये जाने की प्रार्थना की।

5. प्रकरण पर सुना गया। पत्रावली एवं तथ्यात्मक रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। जिसके अनुसार **प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड निम्न प्रकार से है :–**

अभियुक्त : इम्तियाज आलम उर्फ अमनराज

क्र. सं.	मुकदमा नं0	थाना	धारा	नतीजा
1	187/26	भिवाडी	303(2), 341(1) बीएनएस	जैर अनुसंधान
2	190/26	भिवाडी	303(2) बीएनएस	जैर अनुसंधान
3	147/26	अरावली विहार अलवर	303(2) बीएनएस	जैर अनुसंधान
4	97/26	जवाहर नगर	303(2), 324(2), 324(5) बीएनएस	जैर अनुसंधान
5	130/26	अशोक नगर	303(2) बीएनएस	जैर अनुसंधान
6	172/26	श्याम नगर	303(2) बीएनएस	जैर अनुसंधान
7	252/26	कानोता	303(2) बीएनएस	जैर अनुसंधान
8	109/2009	जैतपुर दिल्ली	411, 34 भा.द.स.	जैर अनुसंधान
9	506/11	मेहरोली दिल्ली	379, 34 भा.द.स	पैण्डिंग
10	66/14	कुतुबमीनार मेट्रो दिल्ली	406, 379, 411 भा.द.स	पैण्डिंग
11	94/15	पुल प्रहलादपुर दिल्ली	379, 411, 34 भा.द.स.	पैण्डिंग
12	30754/19	सफदरगंज एन्च लेव दिल्ली	379, 411 भा.द.स.	पैण्डिंग
13	254/26	जामडोली, जयपुर	303(2), 324(4) बीएनएस	पैण्डिंग
14	235/26	कानोता, जयपुर	305(बी), 324(4), 112(2)बीएनएस	पैण्डिंग

अभियुक्त : रोहित कृष्णा

1	187/26	भिवाडी	303(2), 341(1) बीएनएस	जैर अनुसंधान
2	190/26	भिवाडी	303(2) बीएनएस	जैर अनुसंधान
3	147/26	अरावली विहार अलवर	303(2) बीएनएस	जैर अनुसंधान
4	97/26	जवाहर नगर	303(2), 324(2), 324(5) बीएनएस	जैर अनुसंधान
5	130/26	अशोक नगर	303(2) बीएनएस	जैर अनुसंधान
6	172/26	श्याम नगर	303(2) बीएनएस	जैर अनुसंधान
7	252/26	कानोता	303(2) बीएनएस	जैर अनुसंधान
8	223/26	करोल बाग दिल्ली	379 भा.द.स.	–
9				
10	235/26	कानोता, जयपुर	305(बी), 324(4), 112(2)बीएनएस	पैण्डिंग

अभियुक्त : जावेद उर्फ परमजीत यादव

1	187/26	भिवाडी	303(2), 341(1) बीएनएस	जैर अनुसंधान
2	190/26	भिवाडी	303(2) बीएनएस	जैर अनुसंधान
3	147/26	अरावली विहार अलवर	303(2) बीएनएस	जैर अनुसंधान
4	97/26	जवाहर नगर	303(2), 324(2), 324(5) बीएनएस	जैर अनुसंधान
5	130/26	अशोक नगर	303(2) बीएनएस	जैर अनुसंधान
6	172/26	श्याम नगर	303(2) बीएनएस	जैर अनुसंधान
7	252/26	कानोता	303(2) बीएनएस	जैर अनुसंधान
8	254/26	जामडोली, जयपुर	303(2), 324(4) बीएनएस	पैण्डिंग
9	235/26	कानोता, जयपुर	305(बी), 324(4), 112(2)बीएनएस	पैण्डिंग

6. विचारण न्यायालय से पत्रावली तलब कर अवलोकन करने के उपरांत यह दर्शित होता है कि यह प्रकरण परिवादी रामसिंह द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर दर्ज किया गया है जिसमें उसके द्वारा अभियुक्तगण पर उसकी गाडी से शीशा तोडकर सामान चोरी किये जाने का आरोप लगाया गया है। यह सही है कि अभियुक्तगण पर अन्य आपराधिक प्रकरण भी दर्ज हैं, किंतु अभियुक्तगण न्यायिक अभिरक्षा में है एवं प्रकरण में आरोप–पत्र भी पेश हो चुका है, साथ ही मामला मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए गुणावगुण पर टिप्पणी किये बिना मुलजिमान का उक्त जमानत आवेदन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

<u>आदेश</u>

7. फलतः अभियुक्तगण **रोहित कृष्णा पुत्र कृष्णा, इम्तियाज आलम उर्फ अमराज पुत्र मोहम्द वकील व जावेद उर्फ परमजीत यादव पुत्र रहिशुद्दीन** की ओर से प्रस्तुत यह जमानत का आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस एतद्नुसार स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रत्येक अभियुक्त अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपनी नियमित उपस्थिति हेतु 25,000– 25,000/–रूपये (पच्चीस–पच्चीस हजार रूपये) की दो सुदृढ़ जमानतें व 50,000/– रुपये (पचास हजार रूपये) के मुचलके प्रस्तुत कर तस्दीक करा देवें, तो उन्हें तुरन्त जमानत पर स्वतंत्र कर दिया जावे। आदेश की एक प्रति अविलम्ब अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाई जावे। न्यायिक नजीर **In Re Policy Strategy For Grant of Bail, SMWP (Criminal) No. 4/2021, Dated 31-01-2023** की पालना में प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को व्यक्तिगत नोटिस हेतु आदेश की प्रति जरिये ई–मेल संबंधित कारागृह को प्रेषित की जावे।

(संजय कुमार मीना)
अपर सेशन न्यायाधीश बस्सी
जयपुर महानगर–प्रथम

8. आदेश आज दिनांक **09.07.2026** को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

DEEPAK AGARWAL
"Authenticated Document"
Stenographer Gr. III
Digitally signed by DEEPAK AGARWAL
Date: 2026.07.09 17:05:32 +0530

(संजय कुमार मीना)
अपर सेशन न्यायाधीश बस्सी
जयपुर महानगर–प्रथम